न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 06 / 2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री चन्द्रप्रकाश तेजवानी पुत्र श्री नाथूमल जी,
मैसर्स साहिबा पैलेस होटल, धानमण्डी, दरगाह बाजार, अजमेर

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II)(V), धारा 51, धारा 58 के तहत

उपस्थित : अभिभाषक अप्रार्थी श्री बी एस शेखावत एवं श्री कन्हैया सिंह

–: आदेश :–

दिनांक–18.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक(सब स्टेण्डर्ड) पनीरका विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)(**V**)का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीदबिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.10.2023 को दोपहर 3 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स साहिबा पैलेस होटल, धानमण्डी, दरगाह बाजार, अजमेर जिला अजमेरपर पहुँचे। श्री चन्द्रप्रकाश तेजवानी पुत्र श्री नाथूमल, उम्र 55 वर्ष जाति सिन्धी मौके पर उपस्थित मिले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान स्टील के बर्तन में लगभग 05 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था। उक्त पनीर की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

पनीर वास्ते नमूना जॉच हेतु 240/- रूपयें श्री चन्द्रप्रकाश तेजवानी को नगद देकर गवाह श्री राजकुमार के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश तेजवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा 01 किलोग्राम पनीर में से 04 साफ सूखी खाली प्लास्टिक जार में प्रत्येम में 250-250 ग्राम पनीर डालकर प्रत्येक जार को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4074 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/13673 दिनांक 30.11.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1618/एक्ट/2023/1710 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 21.03.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 21.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश तेजवानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 01.05.2024 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 01.05.2024 को अप्रार्थी की ओर से वकील श्री बी एस शेखावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 21.05.2025 को जवाब हेतु एक ओर अवसर दिया जाकर आगामी सुनवाई दिनांक 18.06.2025 नियत की गयी। नियत पेशी दिनांक 18.06.2025 को अप्रार्थी अभिभाषक श्री बी एस शेखावत उपस्थित हुए। उन्हें अप्रार्थी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया गया एवं बहस सुनी गयी। अप्रार्थी अभिभाषक ने अप्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नही की जायेगी अतः प्रकरण का निसतारण करने की कृपा करावे। चूकिं परिवाद के अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा न्यायालय हाजा मे उपस्थिति होकर अप्रार्थी का जुर्म कबूल किया। अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश तेजवानीद्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006की धारा 26 की उपधारा 2

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

(II)(V) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड), बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 व 58में अवमानकपदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री चन्द्र प्रकाश तेजवानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि अप्रार्थी अभिभाषक ने अप्रार्थी पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II)(V) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51, धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त चन्द्र प्रकाश तेजवानी को रु. 20,000/– (अक्षरे रूपये बीसहजार मात्र) शस्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नामई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 18.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय अलग से लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), अजमेर
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।

3– सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमे

4– श्री चन्द्रप्रकाश तेजवानी पुत्र श्री नाथूमल जी, मैसर्स साहिबा पैलेस होटल, धानमण्डी, दरगाह बाजार, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर